

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 645 of 2023**

IN THE MATTER OF:

LALIT KUMAR JAIN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD BARAUT, UTTAR PRADESH.	3-14
2.	<u>ANNEXURE-1.</u> Letter No. 13/2025-26/Main Office dated 03.04.2025 from the Baraut Municipal Council to ITI Limited.	15
3.	<u>ANNEXURE-2.</u> Letter No. ITI/MSPD/2025-26/UP/Baraut/NPP/01 dated 04.04.2025 issued by ITI Limited.	16
4.	<u>ANNEXURE-3.</u> The Memorandum of Understanding (MoU) between Nagar Palika Parishad, Baraut and ITI Limited, which sets out the terms and responsibilities for designing, supplying, constructing, and commissioning the decentralized sewage treatment solution.	17-21
5.	<u>ANNEXURE-4(Colly).</u> The document containing details regarding the retaining wall construction along the Mirapur Rajvahe canal—including workforce information, assigned roles, geotagged	22-40

	photographs, completion certificates, and the e-tender document.	
6.	<u>ANNEXURE-5.</u> Copy of the layout plan of the decentralized sewage treatment plants	41

THROUGH



Date:05.04.2025

Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 645 of 2023**

IN THE MATTER OF:

LALIT KUMAR JAIN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER,
NAGAR PALIKA PARISHAD BARAUT, UTTAR PRADESH ALONGWITH
THE SUPPORTING AFFIDAVIT.**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That in compliance with the Hon'ble National Green Tribunal's (NGT) order dated 10-09-2024, passed in Original Application No. 645/2023, titled *Lalit Kumar Jain Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.* The order states:

"....2. Allegation is that on account of such a discharge, canal water has become poisonous and is creating health hazards.

3. In spite of service of notice, there was no response from respondent no.2-District Magistrate, Bagpat, especially, on the issue of recovery of EC. Therefore, the Tribunal had directed his virtual appearance today.

4. Respondent no.2-District Magistrate, Bagpat appearing virtually has submitted that now effective steps will be taken for recovery of EC.

5. *In the previous order, it was also noted that effective steps for sewage treatment preventing the discharge of untreated water in the canal were not taken by respondent no.3, hence, personal appearance of Executive Officer, Baraut was directed.*

6. *Respondent no.3 appearing virtually has stated that due steps will be taken to prevent discharge of untreated water in the canal.*

7. *In such circumstances, we require respondent no.3 to file an affidavit disclosing the drains that exist within the municipal limit of respondent no.3, treatment facilities such as STP, if any exist within the municipal limit, plan to set up the STP to prevent discharge of untreated water in the canal or any other natural water resource, availability of funds and timeline for the same.*

8. *Let the affidavit to this effect be filed within a period of six weeks.*

9. *List on 09.04.2025.....”*

2. It is further respectfully submitted that on 27-08-2024, the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) issued a demand letter imposing an environmental compensation of ₹2.30 crore on the Nagar Palika Parishad, Baraut, in connection with the discharge of untreated wastewater into the Mirapur Rajvahe canal and non-compliance with environmental norms. An initial installment of ₹10 lakh has been remitted to the UPPCB via RTGS which was recorded in the last action taken report and further a payment of Rs 10 Lakh has been paid thereby evidencing the Parishad's commitment to its environmental obligations. The balance is currently being arranged, and the Parishad is actively consulting with the State Government for additional financial assistance to ensure timely compliance with the demand. In this regard, the respondent also humbly seeks the indulgence of the Hon'ble Supreme Court of India for a waiver of the remaining cost imposed vide **SLP(C) No.9720 of**

2025 case titled as “*Executive Officer, Municipal Council Vs The state of Uttar Pradesh*” .

3. It is respectfully submitted that this Status Report is herein submitted in compliance with the directions of this Hon’ble Tribunal dated December 12, 2024, in the above-captioned matter. In accordance with those directions, the Nagar Palika Parishad, Baraut, has undertaken comprehensive measures to address issues pertaining to the prevention of polluted water discharge into the Mirapur Rajvahe canal and to enhance its cleanliness and structural integrity.
4. It is respectfully submitted that after the construction of the retaining wall a fresh inspection was conducted to assess total discharge of wastewater into the canal is presently estimated at approximately 0.5 million liters per day (MLD) or 500KLD. This wastewater is only Household wastewater which is directed to the Makhraj drain, where temporary treatment is being effected through the process of phyto-remediation. Although phyto-remediation is a provisional measure, it is a scientifically recognized method that utilizes natural processes to improve water quality pending the implementation of a permanent solution.
5. It is respectfully submitted that, in view of the significant challenges encountered, the answering respondent sought assistance of ITI limited by issuing letter No. 13/2025-26/Main Office dated 03.04.2025. wherein request has been made by the Baraut Municipal Council for the urgent approval of a **Decentralized Sewage Treatment Plant** to address the issue of wastewater management. Significant challenges are being faced in treating wastewater that is currently entering the irrigation canal, which has led to notices being issued by the **National Green Tribunal (NGT)**. To prevent further environmental harm, immediate implementation of the plant is being

proposed. An agreement is ready to be signed once the necessary approval is granted. Copy of the letter No. 13/2025-26/Main Office dated 03.04.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE-1**.

6. That in response, ITI limited issued its letter No. ITI/MSPD/2025-26/UP/Baraut/NPP/01 dated 04.04.2025, outlining the availability of advanced technologies. These technologies have been successfully implemented by partners and authenticated by the **Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India**. The solutions are listed in **GRIHA** and have received commendations from organizations such as the **West Bengal Pollution Control Board, Delhi Jal Board, Indian Railways, and DLF**, among others. It has been conveyed that these solutions can be deployed rapidly, and systems of 500 KLD capacity can be completed—either individually or in combination—within **2–3 months** of receiving the order and advance payment. The total cost for the entire canal work has been estimated at approximately **Rs. 7.5 Crores**. Copy of the letter No. ITI/MSPD/2025-26/UP/Baraut/NPP/01 dated 04.04.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE-2**.

7. It is respectfully submitted that a Memorandum of Understanding (MoU) has been executed between the Nagar Palika Parishad, Baraut and ITI Limited to control the discharge of untreated wastewater into the Mirapur Rajvahe irrigation canal. In response to the notices issued by the Hon'ble National Green Tribunal, the Parties have proposed establishing a decentralized sewage treatment plant (STP) with a capacity of up to 500 KLD. ITI Limited, along with its Empaneled Associate, brings extensive experience in implementing sustainable wastewater treatment solutions using advanced technologies such as the Membrane Bioreactor (MBR), Hybrid Granules Sequential Batch Reactor (HgSBR), and Electro BioReactor (EBR)

systems. These technologies have received approval from respected governmental bodies, including the Delhi Jal Board, Indian Railways, and the West Bengal Pollution Control Board. The MoU comprehensively details the following:

- a) It sets forth the terms and mutual understanding for the successful design, supply, construction, and commissioning of the proposed decentralized sewage treatment solution, as detailed in the attached annexures.
- b) The system will incorporate **solar-powered sensors**, technological monitoring, and sustainable practices to ensure that the treated sewage meets the prescribed standards before it is reused or discharged into any water body.
- c) ITI Limited and its Associate shall design and implement a 500 KLD decentralized STP system based on HgSBR/MBR or EBR technology comprising of volume flow from 4 canals of 50kld and 1 canal of 300kld , provide all necessary civil, mechanical, and electrical works, and ensure that the treated water complies with the prescribed environmental standards. The project is anticipated to be executed within 2–3 months from receipt of the work order and advance payment.
- d) NPP Baraut shall provide all necessary administrative support, including offering suitable land for the system’s installation, ensuring site access, obtaining the required clearances, and coordinating timely approvals. NPP Baraut has confirmed the availability of the proposed land and will disburse payments in accordance with the agreed terms.
- e) The project involves installing a compact activated sludge system based on MBR and HgSBR/EBR technology. Key components include:
 - a collection sump with submersible pumps;
 - a bar screen and an oil & grease

trap (with NPP Baraut ensuring proper confinement, maintenance, and disposal at its FSTP (Faecal Sludge Treatment Plant) plant of 32 KLD located at Kotana Road, Baraut); - equalization and anoxic tanks; - an HgSBR-based aerobic reactor; - a secondary clarifier integrated with an MBR system; - a sludge digester and thickener; - and a final filtration and chlorination unit.

- f) The expected water quality parameters after treatment are:
- I. **BOD (Biochemical Oxygen Demand):** Initially between 250–400 mg/l, which indicates high levels of organic matter, will be lowered to less than 10 mg/l.
 - II. **COD (Chemical Oxygen Demand):** Initially between 600–800 mg/l, reflecting the total amount of chemicals, will be reduced to less than 50 mg/l.
 - III. **Suspended Solids:** Particles present in the water, originally at 200–400 mg/l, will be decreased to less than 10 mg/l.
 - IV. **Oil & Grease:** Initially up to 50 mg/l will be reduced to 5 mg/l.
 - V. **E.Coli:** The bacterial count, initially between 1,000,000 to 100,000,000 per 100ml, will drop to less than 100 per 100ml.
- g) Following treatment, the treated wastewater shall be utilized by local farmers for irrigation purposes, subject to testing and verification of the treatment facility's standards.
- h) Detailed calculations and a process flow diagram are provided in the attached document titled "STP Scheme Baraut." The approximate cost for the STP and canal treatment work is estimated at INR 7.5 Crores (Rupees Seven Crore Fifty Lakhs only), subject to actual site conditions. NPP Baraut shall release 50% of the total project cost upon the issuance of the work order to facilitate

procurement and mobilization, with the remaining 50% disbursed in stages based on mutually agreed milestones corresponding to delivery, installation, commissioning, and final handover. The funds are available in the 15th Finance Commission.

A copy of the MoU along with the relevant details is annexed herewith as **ANNEXURE-3**.

6. That the ITI limited technologies have been successfully implemented by partners and authenticated by the **Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India**. The solutions are listed in **GRIHA** and have received commendations from organizations such as the **West Bengal Pollution Control Board, Delhi Jal Board, Indian Railways, and DLF**, among others. The technology is eco-friendly and efficient as operated by solar energy. It also uses sensors which can be monitored by the NPP officials and district administration. Further, the monthly testing will be done to ensure the prescribed standards.
7. It is respectfully submitted that the Nagar Palika Parishad, Baraut has acquired a total of 8,431.23 square meters of land designated for the construction of a Sewage Treatment Plant (STP). A Detailed Project Report (DPR) for the proposed STP, dated December 3, 2024, has been duly prepared and submitted to the State Government for approval, which is currently pending. Once operational, the STP is expected to serve as a permanent and scientifically robust solution for the treatment and disposal of sewage, thereby substantially mitigating the environmental burden on the canal and its surrounding areas.
8. It is respectfully submitted that significant infrastructural development works are presently underway, including the construction of a retaining wall along the Mirapur Rajvahe canal. These measures are being implemented to ensure structural stability,

to prevent the discharge of untreated wastewater, and to preserve the ecological integrity of the canal environment. In particular, robust retaining walls are being erected along the canal banks to prevent erosion, control seepage, and establish a stable boundary. The answering respondent has ensured that no sewage will go to the Mirapur Rajvahe canal in compliance to the orders of the Hon'ble NGT.

9. It is respectfully submitted that the total planned length of the retaining walls is 2,650 meters. Of this length, 1,250 meters had been completed by NPP Baraut as of the last hearing on 13.12.2024. Furthermore, subsequent to the Tribunal's order, 497 meters have been completed and work has commenced on a 160-meter section pursuant to an e-tender. Additionally, an e-tender for 425 meters has been uploaded for further construction. Consequently, only 318 meters of the retaining wall remain to be constructed, for which funds are being sought from the 15th Finance Commission. Upon approval and sanction of the requisite funds by the concerned department, work will commence forthwith, and all efforts are being made to expedite completion. A copy of the details regarding the workforce, the assigned roles for the construction of the retaining walls along the Mirapur Rajvahe canal, along with geotagged photographs, completion certificates, and the e-tender document, is annexed herewith as **ANNEXURE 4 (Colly)**.

10. It is respectfully submitted that the Detailed Project Report (DPR) has been forwarded, along with the recommendation of the District Magistrate, Baghpat, to the Principal Secretary, Urban Development. A copy of the DPR, accompanied by a request for sanction in light of the Hon'ble NGT order dated 10.09.2024, has been submitted and is currently pending approval.

11. It is respectfully submitted that, to further reinforce the environmental integrity of the canal, small drains are being constructed to channel untreated water into the main drainage system. This measure is intended to prevent the uncontrolled entry of pollutants into the Mirapur Rajvahe canal, thereby ensuring the maintenance of ecological balance and facilitating long-term improvements in water quality.
12. It is respectfully submitted that, concurrently, the Nagar Palika Parishad has initiated public engagement and awareness programs aimed at preventing waste dumping into the canal. Prominently displayed flex boards advise residents against disposing of garbage, cow dung, or household wastewater into the canal. Additionally, notices have been issued to property owners adjacent to the canal, warning them of the legal and regulatory ramifications of non-compliance. These measures are being rigorously enforced to promote community cooperation in environmental protection.
13. It is respectfully submitted that, in order to sustain cleanliness in the vicinity of the canal, door-to-door waste collection services have been implemented in wards 17, 18, 19, and 20. Specialized vehicles and trained operators have been deployed to ensure the efficient collection and management of waste. These operations are regularly supervised by sanitation inspectors to ensure compliance with cleanliness standards. Moreover, the Irrigation Department conducts seasonal cleaning of the canal at designated intervals, with the most recent cleaning drive having been completed in November 2024, thereby maintaining hygiene and preventing siltation.
14. That further, the ITI limited has begun with the installation of decentralized Sewage Treatment Plant at Bijrol Road in the expedite manner in compliance to the Memorandum of Understanding which was executed in order to comply the Hon'ble

Tribunal directions. Copy of the layout plan of the decentralized sewage treatment plants is being annexed herewith as ANNEXURE-5

15. It is respectfully submitted that the Nagar Palika Parishad remains steadfastly committed to fulfilling its obligations under the orders of this Hon'ble Tribunal and to adhering to all relevant environmental regulations. By implementing a comprehensive array of measures—from infrastructural improvements to community education and enforcement actions, the Parishad endeavors to establish a sustainably managed canal ecosystem and secure a cleaner environment for the citizens. The Parishad stands ready to provide any further updates or information as may be required by this Hon'ble Tribunal.

THROUGH



Date: 05.04.2025

Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE
COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 645/2023

Lalit Kumar Jain

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent

AFFIDAVIT

I, MANOJ KUMAR RASTOGI aged about 56 years s/o Sh.B.P. RASTOGI is presently posted as EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD BHARAUT. **Presently at New Delhi**

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying report are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.



Agarwal
5/6004/2022
I identified the deponent who
has signed in my presence

[Signature]

DEPONENT



VERIFICATION

02 APR 2025

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this ___ day of 2025,
that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my
knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed
therefrom.

[Signature]

DEPONENT

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
(INDIA)

02 APR 2025

ANNEXURE-1

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत) ।



पत्रांक - 13 / 2025-26 / मुख्य कार्यालय

दिनांक :- 03 -04-2025

Indian Telephone Industries Limited
Scope complex, Core 6, 1st Floor,
Central Government Office Complex Delhi - 110003

Sir / Madam,

I am writing to you on behalf of the Baraut Municipal Council regarding the urgent need for a Decentralized Sewage Treatment Plant to address the critical issue of wastewater management.

We are currently facing significant challenges in treating the wastewater that flows into our irrigation canal. As a result, we have received notices from the National Green Tribunal. To prevent untreated wastewater from entering the canal, we are looking to quickly implement a Decentralized Sewage Treatment Plant.

We would greatly appreciate your assistance in this matter. Once we receive your approval, we are prepared to sign an agreement to move forward with the project.

Thank you for considering our request.


Executive Officer
Nagar Palika Parishad,
Baraut (Baghpat).


Chairman
Nagar Palika Parishad,
Baraut (Baghpat).

o/c
Received
Pyari
3-4-25

ANNEXURE-2



आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

क्षेत्रीय कार्यालय :

फ्लैट नं 201-202,

रोहित हाऊस, 3, टालस्टाय मार्ग

नई दिल्ली-110001

फोन : 23317666, 23314164

ITI LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)

Regional Office:

Flat No. 201-202,

Rohit House, 3, Tolstoy Marg,

New Delhi-110001

Phone : 23317666, 23314164

E-mail : ro_dli@itiltd.co.in

Reference: ITI/MSPD/2025-26/UP/Baraut/NPP/01

Date: 04-04-2025

To,
The Chairman & Executive officer
Nagar Palika Parishad
Baraut, Bhagpat

Dear Sir,

Thank you for reaching out to us for assistance. We understand the importance of sustainable solutions, particularly decentralized wastewater treatment, which is a significant challenge in our country.

This is reference to your letter no-13/2025-26/Main Office dated 03.04.3035 regarding the urgent need for a Decentralized Sewage Treatment Plant to address the critical issue of wastewater management.

We offer a range of advanced technologies, several of which have been successfully implemented by our partners and authenticated by the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. Our partner's solutions are also listed in GRIHA and have been successfully implemented in both government and private organizations, with commendations from entities such as the West Bengal Pollution Control Board, Delhi Jal Board, Indian Railways, and DLF, among others.

We are capable of rapidly deploying these solutions and can complete 500 KLD systems, either individually or in various combinations, within 2-3 months of receiving the order and advance payment.

The whole canal work will be Approx. Rs 7.5 Crores.

We sincerely appreciate your time and consideration in reviewing our proposal. Thank you for considering our proposal.

Yours Sincerely,
For ITI Limited



Prashant Kumar
Deputy General Manager
MSP (Delhi) ITI Limited

व्यापार विकास : कोर-6, प्रथम तल, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Marketing Office : Core-6, 1st Floor, Scope Complex, 7-Lodhi Road, New Delhi - 110003

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : आई टी आई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूर-560 016, भारत दूरभाष : (91) (80) 25614466, 25651340

Registered and Corporate Office : ITI Bhawan, Doorvani Nagar, Bangalore-560 016, India Phone : (91) (80) 25614466, 25651340

CIN No. L32202KA1950GO1000640, Website : www.itiltd.in



सत्यमेव जयते


ANNEXURE-3

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

Certificate No. : IN-DL63958490849039X
Certificate Issued Date : 04-Apr-2025 04:21 PM
Account Reference : IMPACC (IV)/ dl984903/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference : SUBIN-DL98490368185574308446X
Purchased by : NAGAR PALIKA PARISHAD
Description of Document : Article 58 Memorandum of Settlement
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : NAGAR PALIKA PARISHAD
Second Party : ITI LIMITED WITH ITS ASSOCIATE
Stamp Duty Paid By : NAGAR PALIKA PARISHAD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



Please write or type below this line

Astha
अधिसारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बडोला

ITI
Phyaji



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MoU) is made and entered into on this 04th day of April 2025 by and between:

1. Nagar Palika Parishad, Baraut (Baghpat), having its office at Baraut, District Baghpat, Uttar Pradesh, through its Chairman and Executive Officer (hereinafter referred to as "NPP Baraut"),

AND

2. ITI Limited with its Associate (A Government of India Undertaking), having its Regional Office at Flat No. 201-202, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi - 110001, represented by Mr. Prashant Kumar, Deputy General Manager (hereinafter referred to as "ITI Limited with Associate").

Collectively referred to as "Parties" and individually as a "Party".

NPP Baraut is under an urgent obligation to control the discharge of untreated wastewater into the irrigation canal Mirapur, Rajwaha pursuant to notices from the Hon'ble National Green Tribunal. To address this, a Decentralized Sewage Treatment Plant (STP) with capacity up to 500 KLD is proposed.

ITI Limited with its Associate, having extensive experience in installing sustainable wastewater treatment solutions, including MBR(Membrane Bioreactor) and HgSBR(Hi-brid Granules Sequential batch Reactor)/ EBR (Electro BioReactor)-based systems, proposes to undertake the project using advanced and efficient technologies already approved and adopted by various government bodies


अधिकाारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बराउत





such as Delhi Jal Board, Indian Railways, and the West Bengal Pollution Control Board.


This MoU is to establish the terms and mutual understanding between the Parties for the successful design, supply, construction, and commissioning of a decentralized sewage treatment solution based on technical specifications elaborated in the attached annexures.

With solar power sensor, technology monitoring and sustainable exercise to meet the prescribed standard treated sewage before it is reused or discharge into an water body

ITI Limited with its Associate shall design and implement a 500 KLD decentralized STP system based on the HgSBR / MBR or EBR technology, provide all required civil, mechanical, and electrical works, ensure treated water meets prescribed environmental standards, and execute the project within 2-3 months of receiving the order and advance payment.

NPP Baraut shall provide all administrative support, Suitable Land to install the system, site access, and required clearances, coordinate for timely approvals, NPP has ensure availability of the proposed land and disburse payment as per agreed terms.

The project involves installation of a compact activated sludge system based on MBR(Membrane Bioreactor) and HgSBR(Hi-brid Granules Sequential batch Reactor)/ EBR (Electro BioReactor) technology. Key components include: Collection sump with submersible pumps, Bar screen and oil & grease trap, NPP has confined, maintain and scientific disposal of the oil and grease trap at their


अधिसारी अधिकारी
नगर पालिका परिसर
बडोत



FSTP plant 32KLD situated at kotana Road, Baraut ,Equalization and Anoxic tanks, HgSBR-based aerobic reactor, Secondary clarifier and MBR system, Sludge digester and thickener, Final filtration and chlorination unit

Expected input-output water quality:

- BOD: from 250-400 mg/l to less than 10 mg/l
- COD: from 600-800 mg/l to less than 50 mg/l
- Suspended Solids: from 200-400 mg/l to less than 10 mg/l
- Oil & Grease: up to 50 mg/l to 5 mg/l
- E.Coli: 10^6 - 10^8 MPN/100ml to < 100 MPN/100ml

Thereafter, NPP, the treated wastewater will be utilised by the Local farmers for the purpose of irrigation after the testing, the standard of the treatment facility

Detailed calculations and flow diagram as per attached document titled "STP Scheme Baraut".

The approximate cost of the STP and canal treatment work is estimated at INR 7.5 Crores (Rupees Seven Crore Fifty Lakhs only), subject to actual site conditions.

NPP Baraut shall release 50% of the total project cost upon issuance of the work order to enable procurement and mobilization. The remaining 50% shall be paid in stages as per mutually agreed milestones linked to delivery, installation, commissioning, and final handover.

[Handwritten signature]
 नगर पालिका कार्यालय
 बारात



This MoU shall remain valid for a period of twelve (12) months or until execution of a definitive Agreement/Work Order, whichever is earlier. A formal contract with full commercial and legal terms shall follow.

All technical, financial, or administrative data exchanged under this MoU shall remain confidential unless disclosure is required under law.

Disputes, if any, shall first be attempted to be resolved through mutual discussion. Failing which, the same shall be referred to arbitration under Indian law. Jurisdiction shall lie with the courts of Baghpat or Meerut.

This MoU shall be governed by the laws of India.

Signed and executed on the date and year first above written.

For Nagar Palika Parishad, Baraut (Baghpat)

Signature: Postop

Name: Mang Rastogi

Designation: Executive Officer

Date: 04/04/2025

Seal: उत्तराखण्ड नगरपालिका परिषद

For Nagar Palika Parishad, Baraut (Baghpat)

Signature: _____

Designation: Chairman

Date: _____

Seal: _____

For ITI Limited with its Associate

Signature: Prashant

Name: Mr. Prashant Kumar

Designation: Deputy General Manager (MSP Delhi)

Date: 4-4-2025

Seal: _____

प्रशांत कुमार / PRASHANT KUMAR
उप महाप्रबंधक-एमएसपी दिल्ली
Deputy General Manager-MSP Delhi
आईटीआई लिमिटेड / ITI LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम) / (A Govt. of India Undertaking)
इण्डन ब्लॉक, कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
First Floor, Core-4, SCOPE Complex, 7-Lodhi Road, New Delhi-110003

Prashant



ANNEXURE 204 (Colly)



कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत) ।

पत्रांक - 187 / 2024-25 / निर्माण

दिनांक - 19 -03-2025

कार्य स्वीकृति सूचना पत्र

प्रेषक,

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत ।

सेवा में,

मै0 प्रवीण कुमार जैन, निवासी जैन नगर कैनाल रोड बडौत जनपद बागपत । Email:-
praveenjain641@gmail.com, Mob 9412206813, 7500001514

ठेकेदार

नगर पालिका परिषद, बडौत

विषय:- कस्बा बडौत वार्ड नं 14 जयप्रकाश के मकान से चैनपाल के मकान तक मीरापुर राजवाहे की दायीं पटरी पर रिटेनिंगवॉल नाली निर्माण कार्य ।

स्वीकृत धनराशि – 2127235/- रुपये

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य अध्यक्ष / अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बडौत के पत्रांक आदेश दिनांक 18-03-2025 के द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

कृपया पत्र प्राप्ति के 3 / 7 दिन के अन्दर अंकन 212723/-रुपये जमानत धनराशि जमा करा दें तथा इकरारनामा लिख दें अंकन 100+100/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर ।

कृपया यह नोट करें कि यदि आपने बिना जमानत किये व बिना इकरारनामा लिखे कार्य आरम्भ किया तो ऐसा कार्य आप अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे और विभाग किसी भी दशा में उसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा ।

भवदीय

Praveen Jain
29/03/2025

[Signature]
अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत ।

203



कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत) ।

पत्रांक - 179 / 2024-25 / निर्माण

दिनांक - 19-03-2025

कार्य स्वीकृति सूचना पत्र

प्रेषक,

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत ।

सेवा में,

उत्कर्ष बिल्डर्स, पार्टनर सुधीर कुमार पुत्र श्री ब्रह्म सिंह, निवासी ग्राम तमेलगाढी तहसली बडौत जनपद
बागपत 250622, Mob 9927032808, Email:- buildersutkarsh@gmail.com

ठेकेदार

नगर पालिका परिषद, बडौत

विषय:- करवा बडौत वार्ड नं 18 में सुनील की दुकान से बंटी ढाका के घेर तक दायीं पटरी पर
रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य ।

स्वीकृत धनराशि - 2408959/- रुपये

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य अध्यक्ष / अधिशारी अधिकारी, नगर
पालिका परिषद बडौत के पत्रांक आदेश दिनांक 18-03-2025 के द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

कृपया पत्र प्राप्ति के 3 / 7 दिन के अन्दर अंकन 240896/-रुपये जमानत धनराशि जमा करा दें तथा
इकरारनामा लिख दें अंकन 100+100/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर ।

कृपया यह नोट करें कि यदि आपने बिना जमानत किये व बिना इकरारनामा लिखे कार्य आरम्भ किया तो ऐसा
कार्य आप अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे और विभाग किसी भी दशा में उसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा ।

भवदीय

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत जनपद बागपत ।

निर्माण विभाग

कस्बा बडौत में मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी निर्माणाधीन सी0सी0 सडक / रिटैनिंगवॉल निर्माण कार्य ।

क्र.सं	कार्य का नाम	मद का नाम	बोर्ड प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक	फर्म / ठेकेदार	कार्यादेश दिनांक	स्वीकृत धनराशि	कार्य की लम्बाई (मीटर में)
1	कस्बा बडौत वार्ड 18 विकास मलिक के प्लाट से मजदुरो वाले पुल तक मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी पर सी0 सी0 सडक / रिटैनिंगवाल निर्माण कार्य ।	राज्य वित्त / बोर्ड फण्ड	प्रस्ताव संख्या 93 दिनांक 19-07-2024	उत्कर्ष बिल्डर्स, पार्टनर सुधीर कुमार	22-10-2024	3080212	85
2	कस्बा बडौत वार्ड 18 रविकिशन के मकान से सुभाष के मकान तक मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी पर सी0 सी0 सडक / रिटैनिंगवाल निर्माण कार्य ।	राज्य वित्त / बोर्ड फण्ड	प्रस्ताव संख्या 90 दिनांक 19-07-2024	उत्कर्ष बिल्डर्स, पार्टनर सुधीर कुमार	22-10-2024	2910275	80
3	वार्ड 18 बिजरौल रोड से सुभाष के मकान तक मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी पर सी0 सी0 सडक / रिटैनिंगवाल निर्माण कार्य ।	राज्य वित्त / बोर्ड फण्ड	प्रस्ताव संख्या 170 दिनांक 16-11-2024	उत्कर्ष बिल्डर्स, पार्टनर सुधीर कुमार	7/3/2024	3188848	90
4	कस्बा बडौत वार्ड 14 नेहरु रोड पुल से हरिजन धर्मशाला तक मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी पर सी0 सी0 सडक / रिटैनिंगवाल निर्माण कार्य ।	राज्य वित्त / बोर्ड फण्ड	प्रस्ताव संख्या 171 दिनांक 16-11-2024	मै0 प्रवीण कुमार जैन	12/3/2024	2453309	60
5	कस्बा बडौत वार्ड 14 में भगवत प्रसाद के मकान से गुराना रोड पुल तक मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी पर सी0 सी0 सडक / रिटैनिंगवाल निर्माण कार्य ।	राज्य वित्त / बोर्ड फण्ड	प्रस्ताव संख्या 172 दिनांक 16-11-2024	मै0 प्रवीण कुमार जैन	12/3/2024	2425449	60
6	कस्बा बडौत वार्ड 14 अनिता के मकान से विजयपाल के मकान तक मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी पर सी0 सी0 सडक / रिटैनिंगवाल निर्माण कार्य ।	राज्य वित्त / बोर्ड फण्ड	प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 19-07-2024	श्री रविन्द्र कुमार	15-10-2024	2458564	61
7	कस्बा बडौत वार्ड 14 सहदेव के मकान से राकेश के मकान तक मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी पर सी0 सी0 सडक / रिटैनिंगवाल निर्माण कार्य ।	राज्य वित्त / बोर्ड फण्ड	प्रस्ताव संख्या 64 दिनांक 19-07-2024	श्री रविन्द्र कुमार	15-10-2024	3690544	61



कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत) ।

पत्रांक - 841/2024-25 / मुख्य कार्यालय


दिनांक :- 20-02-2025

अति अल्पकालिन ई-निविदा सूचना


एतद्वारा आयकर और जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मों / नगर पालिका परिषद बडौत में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों / सरकारी / अर्द्धसरकारी सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनियों / निजी निर्माता कम्पनियों व उनके अधिकृत डीलरों को सूचित किया जाता है कि यह निकाय राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड मद से कार्य कराना चाहती है। कार्यों की ई-निविदा के माध्यम से दो बिड सिस्टम के आधार पर ई-निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। 40 लाख तक के कार्य के लिये यू0एल0बी0टी0-1 होगा। ई-निविदा की समय-सारणी <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

1	ई-निविदा रेफरेंस संख्या	840 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय, दिनांक :- 20-02-2025
2	टेंडरगैट पर ई-निविदा प्रकाशन की तिथि / समय	22-02-2025 को प्रातः 10:00 बजे
3	ई-निविदा डाउनलोड / अपलोड की प्रारम्भ तिथि / समय	22-02-2025 को सायं 04:00 बजे से
4	ई-निविदा डाउनलोड / अपलोड की अन्तिम तिथि / समय	07-03-2025 को सायं 05:00 बजे तक
5	ई-निविदा खोलने की तिथि / समय / स्थान	08-03-2025 को प्रातः 11:00 बजे नगर पालिका परिषद बडौत।
6	ई-निविदा शुल्क हेतु पालिका खाते का विवरण	A/C No - 0042000101044060 IFS CODE - PUNB0004200

नोट - ई-निविदा हेतु उल्लिखित कार्यों का विवरण उनकी आगणन लागत, निविदा की धरोहर राशि (EMD) निविदा मूल्य के शुल्क तथा समय अवधि का विवरण, शर्तें व प्रतिबन्ध ई-टेंडर पोर्टल <https://etender.up.nic.in> व पालिका की वेबसाइट nppbaraut.in पर दिनांक 22-02-2025 को प्रातः 10:00 बजे से देखी जा सकती है। ई-निविदा की धरोहर निविदा मूल्य का शुल्क अलग-अलग ऑनलाईन जमा कराकर स्लिप/प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से ई-निविदा के साथ, अपलोड की जानी है। किसी भी ई-निविदा पर धरोहर धनराशि के बिना कोई विचार नहीं किया जायेगा। किन्हीं कारणवश उक्त तिथि में अवकाश होने पर अगला कार्यदिवस माना जायेगा। ई-निविदा की नियम व शर्तें तथा ई-निविदा से संबंधित अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पालिका कार्यालय में देखी जा सकती है।


(मनोज कुमार रस्तोगी)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।



(बबीता तोमर)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद बडौत।


प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

2. सम्पादक **अमर उजाला** / **हिन्दुस्तान** समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित है कि कम से कम स्पश म सरकारी दरो पर छापते हुये अपान बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।


(मनोज कुमार रस्तोगी)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।


(बबीता तोमर)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद बडौत।

o/c



कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत) ।

पत्रांक - 840/2024-25 / मुख्य कार्यालय

दिनांक - 20-02-2025

अति अल्पकालिन ई-निविदा सूचना

एतद्वारा आयकर और जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मों / नगर पालिका परिषद बडौत में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों / सरकारी / अर्द्धसरकारी सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनियों / निजी निर्माता कम्पनियों व उनके अधिकृत डीलरों को सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 645 / 2023 प्रकरण विचारधीन है। जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मीरापुर राजवाहे में जाने वाले पानी को रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में पालिका द्वारा मीरापुर राजवाहे की पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली एवं रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। जिसके क्रम में मीरापुर राजवाहे पर निम्न स्थानों पर नाली / रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड से कराना चाहती है। जिसके लिए दिनांक 22-02-2025 से दिनांक 07-03-2025 तक ई-निविदा के माध्यम से दो बिड सिस्टम के आधार पर ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई-निविदा प्रपत्रों को ई-प्रोक्थोरमेन्ट की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 22-02-2025 की सायं 04:00 बजे से डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। प्राप्त ई-निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 08-03-2025 की प्रातः 11:00 बजे पालिका कार्यालय में खोली जायेगी। निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं तथा तकनीकी बीड स्वीकृति के उपरान्त ही वित्तीय बिड को खोली जायेगी। ई-निविदा हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (10 प्रतिशत EMD) एवं निविदा मूल्य का शुल्क ऑनलाइन पालिका के ई-निविदा खाता संख्या 0042000101044060 IFS CODE - PUNB0004200 में जमा किया जायेगा। उक्त ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की रिप/प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड की जायेगी। किसी भी ई-निविदा पर धरोहर राशि (10 प्रतिशत EMD) के बिना विचार नहीं किया जायेगा। कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं	कार्य का नाम	मद का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर राशि	निविदा मूल्य + 18 % जी.एस.टी.	समय अवधि
1	कस्बा बडौत वार्ड नं 18 सुनील की दुकान से बंटी ढाका के घेस तक दायीं पटरी पर रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	2410164	241016	2410+434	06 माह
2	कस्बा बडौत वार्ड नं 20 में गाँधी रोड पुल से भगवान महावीर रोड पुल तक राजवाहे की दायीं पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	1346843	134684	1347+242	03 माह
3	कस्बा बडौत वार्ड नं 14 नेहरु रोड पुल से गाँधी रोड पुल तक दायीं पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	1240056	124006	1240+223	03 माह
4	कस्बा बडौत वार्ड नं 14 राकेश के मकान से विजयपाल के मकान तक दायीं पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	742960	74296	743+134	03 माह
5	कस्बा बडौत वार्ड नं 18 विकास मलिक के प्लाट से रविकिरण के मकान तक दायीं पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	729222	72922	729+131	03 माह

6	कस्बा बडौत वार्ड नं 14 लार्ड महावीरा स्कूल के कॉर्नर से नेहरु रोड पुल तक राजवाहे की बायीं पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	1940022	194002	1940+349	03 माह
7	कस्बा बडौत वार्ड 10 गुराना रोड पुल से सराय रोड पुल तक बायीं पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	2488633	248863	2489+448	03 माह
8	कस्बा बडौत वार्ड नं 18 व 20 बिजरोल रोड पुल से गाँधी रोड पुल तक मीरापुर राजवाहे की बायीं पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	1893656	189365	1894+341	03 माह
9	कस्बा बडौत वार्ड नं 14 जयप्रकाश के मकान से चैनपाल के मकान तक मीरापुर राजवाहे की दायीं पटरी पर रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	2127448	212749	2127+383	06 माह
10	कस्बा बडौत वार्ड नं 14 नेहरु रोड पुल से गाँधी रोड पुल तक राजवाहे की बायीं पटरी पर आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड	1784997	178500	1785+321	03 माह

नोट:-

- सशर्त ई-निविदाये मान्य नहीं होगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- किसी भी ई-निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी मे सुरक्षित होगा।
- निविदादादा द्वारा प्रत्येक कार्य के साथ ई-निविदा की धरोहर राशि एवं ई-निविदा मूल्य शुल्क पालिका के ई-निविदा A/C No - 0042000101044060 IFS CODE - PUNB0004200 मे ऑनलाईन अलग-अलग जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त जमाओ की पुष्टि हेतु ट्रांजैक्शन की स्लिप/ प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से ई-निविदा के साथ अपलोड की जायेगी। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति मे निविदा को अवैध माना जायेगा।
- निविदा डालने की अन्तिम तिथि से 90 दिनों तक निविदा की वैधता रहेगी।
- किसी भी ई-निविदा पर धरोहर राशि ऑनलाइन (EMD) के बिना कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाताओ द्वारा 10/- रुपये के राजकीय स्टाम्प पर माफीया गतिविधि मे न होना व अपने लेटर पैड पर पूर्ण पता फर्म का नाम जी0एस0टी0 नम्बर, ई-मेल आईडी एवं पैन नम्बर लिखकर, निविदादाताओ द्वारा वैद्य हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा जारी), सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, श्रम विभाग मे पंजियन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर एवं विगत दो वर्षों का आयकर रिटर्न की स्कैन प्रति एवं ई0पी0एफ0 प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रतियां ऑनलाइन निविदा मे डालनी अनिवार्य होगी। उक्त प्रमाण पत्र न होने की स्थिति मे निविदा को अवैध माना जायेगा।
- निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या-तक0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुपालन मे विभिन्न केटेगरी के ठेकेदारो के लिए निर्धारित निविदा सीमा निम्नानुसार होगी।

क्र.सं	वर्गीकरण	श्रेणी "ए"	श्रेणी "बी"	श्रेणी "सी"	श्रेणी "डी"	श्रेणी "ई"
1	भवन /सेतु / मार्ग निर्माण कार्य	असीमित	रु0 2.00 करोड	रु0 75.00 लाख	रु0 40.00 लाख	रु0 5.00 लाख
2	बिल्डिंग सेनेटरी एवं वाटर	तदैव	रु0 2.00 करोड	रु0 75.00 लाख	रु0 40.00 लाख	रु0 5.00 लाख

	सप्लाई		लाख	लाख	लाख
3	इलैक्ट्रिक / मैकेनिकल	तदैव	रु० 5.00 लाख	रु० 2.50 लाख	रु० 1.00 लाख
4	रोड साईनेज वर्क	तदैव	रु० 5.00 लाख	-	-


8. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र संख्या-तक०सेल/०७/निदे०/२०१९ दिनांक 28 जून 2019 के अनुपालन में विभिन्न केटेगरी के ठेकेदारों के वर्गीकरण हेतु निर्धारित हैसियत प्रमाण पत्र की सीमा निम्नानुसार होगी।


क्र.सं	वर्गीकरण	श्रेणी "ए"	श्रेणी "बी"	श्रेणी "सी"	श्रेणी "डी"	श्रेणी "ई"
1	भवन /सेतु / मार्ग निर्माण कार्य	रु० 50.00 लाख	रु० 40.00 लाख	रु० 20.00 लाख	रु० 5.00 लाख	-
2	बिल्डिंग सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	-
3	इलैक्ट्रिक / मैकेनिकल	रु० 40.00 लाख	रु० 2.00 लाख	रु० 1.00 लाख	-	-
4	रोड साईनेज वर्क	रु० 15.00 लाख	रु० 2.50 लाख	-	-	-
5	सफाई व्यवस्था यांत्रिक कार्य / लेबर वर्क	रु० 10.00 लाख	रु० 5.00 लाख	रु० 2.00 लाख	रु० 1.00 लाख	रु० 10.00 हजार

नोट :- उपरोक्त दावे के लिये जिलाधिकारी द्वारा जारी वैध हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में निविदा सीमा का दावा अवैध माना जायेगा।

- ई-निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
- ई-निविदाओं की तकनीकी बिड पालिका कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा तथा तकनीकी बिड स्वीकृति के उपरान्त ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। जिनकी तकनीकी बिड अस्वीकृत पायी जायेगी। उनकी वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।
- शासनादेश संख्या-1319 / नौ-9-21-45ज/21, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30 जून 2021 के बिन्दु संख्या-5.8 के अनुसार कार्य में लगी 10 प्रतिशत जमानत कार्य पूर्ण होने के 12 माह पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात वापिस की जायेगी।
- शासनादेश संख्या-3890/नौ-5-19-149सा/2019 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20-09-2019 व निदेशालय के पत्र संख्या एक/716/कम्प्यू०सेल/2019 दिनांक 06 नवम्बर 2019 के अनुपालन में न्यूनतम में (1,1) निविदादाता फर्म / ठेकेदार को पालिका में पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट / ई-बैंकिंग से जमा कराते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त ही स्वीकृत कार्य का कार्यादेश जारी किया जायेगा।
- निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व स्थल का निरीक्षण करना होगा। बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- ठेकेदार / संस्था / फर्म द्वारा लगाये गये सभी श्रमिकों में से किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने की दशा में पालिका का कोई दायित्व नहीं होगा। समस्त दायित्व ठेकेदार / संस्था / फर्म के होंगे। जिसे उसे स्वयं वहन करना होगा।
- श्रमिकों के हितों से संबंधित समस्त शासनादेशों का निविदादाता द्वारा अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- शासनादेश संख्या-609/नौ-9-2007-249ज / 06 दिनांक 26-02-2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वः घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिससे की ठेकेदार / फर्म कि बिडिंग क्षमता का आंकलन किया जा सके।
- उक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के पश्चात ठेकेदार / संस्था / फर्म को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराना होगा। जिसमें समस्त प्रकार के खर्च का उत्तरदायित्व ठेकेदार संस्था / फर्म का होगा।
- निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिन के अन्दर यदि कार्य का अनुबन्ध नहीं कराया जाता है तो जमानत की धनराशि जब्त कर कार्य निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

19. कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण होने के पश्चात (तीनों स्थितियों) के फोटो ग्राफ्स बिल भुगतान से पूर्व उपलब्ध कराने अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में किए गए कार्य का भुगतान सम्भव नहीं होगा।
20. ठेकेदार / फर्म को धन उपलब्धता के आधार पर पालिका द्वारा भुगतान किया जायेगा।
21. अपठनीय / अस्पष्ट कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड होने पर ई-निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
22. ठेकेदार / फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतिया जी0एस0टी0 के शासनादेश के अनुसार ठेकेदार / फर्म के बिलसे की जायेगी।
23. ठेकेदार / फर्म / सरकारी / अर्द्धसरकारी / सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनियों / निजी निर्माता कम्पनियों व उनके अधिकृत डीलरो को ऑथराईज्ड डीलर होने का वर्ष 2019-20 का कम्पनी मुख्यालय से जारी ऑथराईज्ड डीलरशीप प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
24. कार्य में किसी भी टैस्टिंग पर आने वाले खर्च का वहन सम्बन्धित फर्म / कम्पनी / ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
25. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से अथवा जमा धनराशि से की जायेगी।
26. भविष्य में किसी भी समय कार्य एवं आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता ठीक न होने अथवा अनियमितता की स्थिति में कार्य एवं आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु ठेकेदार / फर्म को काली सूचि में डालने और कार्य की गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर बॉन्ड निरस्त करने तथा धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
27. निविदा की स्वीकृति उपरान्त यदि सम्बन्धित फर्म / ठेकेदार द्वारा कार्य को निर्धारित समय अवधि में सम्पूर्ण कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है अथवा कार्य आपूर्ति करने से इंकार किया जाता है तो कार्य में जमा जमानत धनराशि जब्त करते हुए फर्म / कम्पनी / ठेकेदार को काली सूचि में डालने की कार्यवाही करते हुए कार्य का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
28. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि तथ्य संज्ञान आता है कि किसी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश प्रत्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
29. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकारी बागपत होंगे।


(मनोज कुमार रस्तोगी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।


(बबीता तामर)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद बडौत।



कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

पत्रांक - 913 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय

दिनांक - 25-03-2025

एतद्द्वारा आयकर और जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मों / नगर पालिका परिषद बडौत में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों / सरकारी / अर्द्धसरकारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों / निजी निर्माता कंपनियों व उनके अधिकृत डीलरों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिलाधिकारी बागपत के पत्रांक 1402 / एल0बी0सी0 / 15 वें वित्त आयोग / अवस्थापना मद / 2025, दिनांक 24 मार्च, 2025 के द्वारा स्वीकृत 15 वां वित्त आयोग / अवस्थापना मद से प्राप्त धनराशि से कार्य कराना चाहती है। 40 लाख तक के कार्य के लिये यू0एल0बी0टी0-1 होगा। उक्त कार्य नगर पालिका द्वारा ई-टेंडरिंग के माध्यम से दो बिड सिस्टम के आधार पर ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। ई-निविदा की समय-सारणी <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

1	ई-निविदा रेफरेन्स संख्या	912 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय, दिनांक :- 25-03-2025
2	वेबसाइट पर ई-निविदा प्रकाशन की तिथि / समय	26-03-2025 को प्रातः 10:00 बजे
3	ई-निविदा डाउनलोड / अपलोड की प्रारम्भ तिथि / समय	28-03-2025 को सायं 04:00 बजे से
4	ई-निविदा डाउनलोड / अपलोड की अन्तिम तिथि / समय	18-04-2025 को सायं 05:00 बजे तक
5	ई-निविदा खोलने की तिथि / समय / स्थान	19-04-2025 को प्रातः 11:00 बजे नगर पालिका परिषद बडौत।
6	ई-निविदा शुल्क हेतु पालिका खाते का विवरण	A/C No - 0042000101044060 IFS CODE - PUNB0004200

नोट - ई-निविदा हेतु उल्लिखित कार्यों का विवरण उनकी आगणन लागत, निविदा की धरोहर राशि (EMD) निविदा मूल्य के शुल्क तथा समय अवधि का विवरण, शर्तें व प्रतिबन्ध ई-टेंडर पोर्टल <https://etender.up.nic.in> व पालिका की वेबसाइट nppbaraut.in पर दिनांक 26-03-2025 को प्रातः 10:00 बजे से देखी जा सकती है। ई-निविदा की धरोहर निविदा मूल्य का शुल्क अलग-अलग ऑनलाईन जमा कराकर स्लिप/प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से ई-निविदा के साथ अपलोड की जानी है। किसी भी ई-निविदा पर धरोहर धनराशि के बिना कोई बिचार नहीं किया जायेगा। किन्हीं कारणवश उक्त तिथि में अवकाश होने पर अगला कार्यदिवस माना जायेगा। ई-निविदा की नियम व शर्तें तथा ई-निविदा से संबंधित अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पालिका कार्यालय में देखी जा सकती है।

(मनोज कुमार रस्तोगी)
अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद बडौत।

(बबीता तोमर)
अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद बडौत।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय बागपत।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय बागपत।
3. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. सम्पादक www.bhatindanews.com समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित है कि कम से कम स्पेश में सरकारी दरों पर छापते हुये एक प्रति कार्यालय में प्राप्त कराने के उपरान्त अपना बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।

(मनोज कुमार रस्तोगी)
अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद बडौत।

(बबीता तोमर)
अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद बडौत।



कार्यालय नगर पालिका परिषद बड़ौत (बागपत) ।

पत्रांक - 912 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय

दिनांक - 25-03-2025

ई-निविदा सूचना

एतद्वारा आयकर और जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मों / नगर पालिका परिषद बड़ौत में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों / सरकारी / अर्द्धसरकारी सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनियों / निजी निर्माता कम्पनियों व उनके अधिकृत डीलरों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिलाधिकारी बागपत के पत्रांक 1402 / एल0बी0सी0 / 15 वें वित्त आयोग / अवस्थापना मद / 2025, दिनांक 24 मार्च, 2025 के द्वारा स्वीकृत 15 वां वित्त आयोग / अवस्थापना मद से प्राप्त धनराशि से कार्य कराना चाहती है। 40 लाख तक के कार्य के लिये यू0एल0बी0टी0-1 होगा। जिसके लिये दिनांक 28-03-2025 से दिनांक 18-04-2025 तक ई-निविदा के माध्यम से दो बिड सिस्टम के आधार पर ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई-निविदा प्रपत्रों को ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 28-03-2025 की सायं 04:00 बजे से डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। प्राप्त निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 19-04-2025 की प्रातः 11:00 बजे पालिका कार्यालय में खोली जायेगी। निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं तथा तकनीकी बिड स्वीकृति के उपरान्त ही वित्तीय बिड को खोली जायेगी। ई-निविदा हेतु निर्धारित धरोहर राशि (10 प्रतिशत EMD) एवं निविदा मूल्य का शुल्क ऑनलाईन पालिका के ई-निविदा खाता सख्या 0042000101044060 IFS CODE - PUNB0004200 में जमा किया जायेगा। उक्त ऑनलाईन ट्रांजैक्शन की स्लिप/प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड की जायेगी। किसी भी ई-निविदा पर धरोहर राशि (ऑनलाईन 10 प्रतिशत EMD) के बिना विचार नहीं किया जायेगा। कार्यों का विवरण निम्नवत् है। स्वीकृति के उपरान्त पर उपलब्ध है।

क्र.सं	कार्य का नाम	मद का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर राशि	निविदा मूल्य + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0	समय अवधि
1	कस्बा बड़ौत नगर पालिका के उत्तरी गेट से पारस इण्टरप्राइसिस तक एवं ए फिल्ड के गेट और शुभम ज्वैलर्स से बसंत चाट तक व तरस चन्द से डाक खाने तक सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	अवस्थापना मद	3181634	318163	3182+573	04 माह
2	कस्बा बड़ौत वार्ड न0 20 में खलमण्डी में सी0 सी0 सडक / आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	अवस्थापना मद	3060414	306041	3060 + 551	04 माह
3	कस्बा बड़ौत वार्ड न0 13 न्यूरामनगर (बिनौली बस स्टैण्ड) में सतेन्द्र मलिक मेडिकल स्टोर वाले से सुबोध ढाका के मकान तक सी0 सी0 सडक / आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	अवस्थापना मद	3319899	331990	3320 + 597	04 माह
4	कस्बा बड़ौत वार्ड नं 22 में किदवई नगर में बलजोर सिंह दरोगा के मकान से दिल्ली सहारनपुर रोड तक आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	2114642	211464	2115 + 381	06 माह
5	कस्बा बड़ौत वार्ड 14 में नेहरु रोड पुल से अभिलाष मास्टर जी के मकान तक मीरापुर	15 वां वित्त आयोग	3168528	316853	3169 + 570	06 माह

↓

Shikha

	राजवाहे की दायीं पटरी पर रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य।					
6	कस्बा बडौत वार्ड 20 में मजदूरो वाले पुल से श्री सौरभ सागर भवन तक मीरापुर राजवाहे की दायीं पटरी पर रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	3320000	332000	3320 + 598	06 माह
7	कस्बा बडौत वार्ड न0 22 किदवई नगर मे क्यूम मलिक के मकान से मखरज तक आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	1848267	184827	1848 + 333	06 माह
8	कस्बा बडौत वार्ड नं 17 फौजी के प्लॉट से रजनीश के मकान तक खास की दायीं पटरी पर रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	3257152	325715	3257 + 586	06 माह
9	कस्बा बडौत वार्ड न0 18 में न्यूमण्डी मे रचना जोहर के मकान से डॉ मनीष के मकान तक व विकास गुप्ता के मकान से ढाका के मकान तक सी0सी0 सडक /आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	3283072	328307	3283 + 591	04 माह
10	कस्बा बडौत वार्ड न0 18 में न्यू मण्डी मे जीवन ज्योति हास्पिटल से मोनिका जैन के मकान तक एंव सहायक गली मे सी0सी0 सडक / नाली निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	1983105	198311	1983 + 357	04 माह
11	कस्बा बडौत वार्ड 19 व 20 मे डॉ दिनेश बंसल के मकान से नहर के पुल तक सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	1830700	183070	1831 + 330	04 माह
12	कस्बा बडौत वार्ड न0 19 व 20 मे बाल सदन स्कूल से जिला सहकारी बैंक तक सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	3375823	337582	3376 + 608	04 माह
13	कस्बा बडौत वार्ड नं 14 व 20 में बाबू विला से स्टेशन रोड (गाँधी रोड) तक सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	3256861	325686	3257 + 586	04 माह
14	कस्बा बडौत वार्ड नं 02 में मीना मस्जिद से देव चौधरी के मकान तक सी0 सी0 सडक / रोड साईड बीम / नाली निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	3389081	338908	3389 + 610	04 माह
15	कस्बा बडौत वार्ड न0 18 मे सुरेन्द्र जैन वकील के मकान के पास (मजदूरो वाला पुल) मीरापुर राजवाहे पर पुल का निर्माण कार्य।	15 वां वित्त आयोग	2895303	289530	2895 + 521	06 माह
16	कस्बा बडौत में भगवान महावीर मार्ग पर सुरेन्द्र कुमार जैन की दुकान से उमराव सिंह की दुकान तक डिवाईडर एवं फैंसी रेलिंग का	15 वां वित्त आयोग	3302779	330278	3303 + 595	06 माह

Shilpa

निर्माण कार्य ।						
17	कस्बा बडौत वार्ड न0 03 मे नवाब अली के प्लाट से मदन कश्यप के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य ।	15 वां वित्त आयोग	2067947	206795	2068 + 372	04 माह
18	कस्बा बडौत वार्ड न0 09 मे दिल्ली-सहारनपुर रोड से मस्जिद तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य ।	15 वां वित्त आयोग	2077547	207755	2078 + 374	06 माह
19	कस्बा बडौत वार्ड न0 11 मे राजू सैनी के मकान से धनश्याम शर्मा के मकान तक आर0सी0सी नाला निर्माण कार्य ।	15 वां वित्त आयोग	2097377	209738	2097 + 377	06 माह
20	कस्बा बडौत वार्ड न0 14 मे राजबीर के मकान से ओमपाल के मकान तक मीरापुर राजवाहे की दायी पटरी पर रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य ।	15 वां वित्त आयोग	3137112	313711	3137 + 565	06 माह
21	कस्बा बडौत वार्ड न0 9 जन्नत फिरदोस मस्जिद से समीम के मकान तक आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण कार्य ।	15 वां वित्त आयोग	2115957	211596	2116 + 381	06 माह
22	कस्बा बडौत वार्ड न0 18 सन्तोष जैन के मकान से डॉ0 मनीष के प्लाट तक मीरापुर राजवाहे की दायी पटरी पर रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य ।	15 वां वित्त आयोग	2511775	251178	2512 + 452	06 माह
23	कस्बा बडौत वार्ड न0 17 कृष्णपाल के मकान से शोभाराम के मकान तक खास की बायी पटरी पर रिटेनिंगवाल निर्माण कार्य ।	15 वां वित्त आयोग	3257152	325715	3257 + 586	06 माह

नोट:-

1. सशर्त ई-निविदाये मान्य नहीं होगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
2. किसी भी ई-निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी मे सुरक्षित होगा ।
3. निविदादादा द्वारा प्रत्येक कार्य के साथ ई-निविदा की धरोहर राशि एवं ई-निविदा मूल्य शुल्क पालिका के ई-निविदा A/C No - 0042000101044060 IFS CODE - PUNB0004200 मे ऑनलाईन अलग-अलग जमा करना अनिवार्य होगा । उपरोक्त जमाओ की पुष्टि हेतु ट्रांजेक्शन की स्लिप/ प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से ई-निविदा के साथ अपलोड की जायेगी । उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति मे निविदा को अवैध माना जायेगा ।
4. निविदा डालने की अन्तिम तिथि से 90 दिनो तक निविदा की वैधता रहेगी ।
5. किसी भी ई-निविदा पर धरोहर राशि ऑनलाईन (EMD) के बिना कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
6. निविदादाताओ द्वारा 10/- रुपये के राजकीय स्टाम्प पर माफीया गतिविधि मे न होना व अपने लेटर पैड पर पूर्ण पता फर्म का नाम जी0एस0टी0 नम्बर, ई-मेल आईडी एवं पैन नम्बर लिखकर, निविदादाताओ द्वारा वैध हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा जारी), सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, श्रम विभाग मे पंजियन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर एवं विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न की स्कैन

Shikha

प्रति एव ३०पी०एफ० प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रतियां ऑनलाईन निविदा में डालनी अनिवार्य होगी। उक्त प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में निविदा को अवैध माना जायेगा।

7. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र संख्या-तक०सेल/०७/निदे०/२०१९ दिनांक २८ जून २०१९ के अनुपालन में विभिन्न केटेगरी के ठेकेदारों के लिए निर्धारित निविदा सीमा निम्नानुसार होगी।

क्र.सं	वर्गीकरण	श्रेणी "ए"	श्रेणी "बी"	श्रेणी "सी"	श्रेणी "डी"	श्रेणी "ई"
1	भवन /सेतु / मार्ग निर्माण कार्य	असीमित	रु० २.०० करोड	रु० ७५.०० लाख	रु० ४०.०० लाख	रु० ५.०० लाख
2	बिल्डिंग सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	तदैव	रु० २.०० करोड	रु० ७५.०० लाख	रु० ४०.०० लाख	रु० ५.०० लाख
3	इलैक्ट्रिक / मैकेनिकल	तदैव	रु० ५.०० लाख	रु० २.५० लाख	रु० १.०० लाख	-
4	रोड साईनेज वर्क	तदैव	रु० ५.०० लाख	-	-	-

8. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र संख्या-तक०सेल/०७/निदे०/२०१९ दिनांक २८ जून २०१९ के अनुपालन में विभिन्न केटेगरी के ठेकेदारों के वर्गीकरण हेतु निर्धारित हैसियत प्रमाण पत्र की सीमा निम्नानुसार होगी।

क्र.सं	वर्गीकरण	श्रेणी "ए"	श्रेणी "बी"	श्रेणी "सी"	श्रेणी "डी"	श्रेणी "ई"
1	भवन /सेतु / मार्ग निर्माण कार्य	रु० ५०.०० लाख	रु० ४०.०० लाख	रु० २०.०० लाख	रु० ५.०० लाख	-
2	बिल्डिंग सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	-
3	इलैक्ट्रिक / मैकेनिकल	रु० ४०.०० लाख	रु० २.०० लाख	रु० १.०० लाख	-	-
4	रोड साईनेज वर्क	रु० १५.०० लाख	रु० २.५० लाख	-	-	-
5	सफाई व्यवस्था यांत्रिक कार्य / लेबर वर्क	रु० १०.०० लाख	रु० ५.०० लाख	रु० २.०० लाख	रु० १.०० लाख	रु० १०.०० हजार

नोट :- उपरोक्त दावे के लिये जिलाधिकारी द्वारा जारी वैध हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में निविदा सीमा का दावा अवैध माना जायेगा।

9. ई-निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।

- ई-निविदाओं की तकनीकी बिड पालिका कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा तथा तकनीकी बिड स्वीकृति के उपरान्त ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। जिनकी तकनीकी बिड अस्वीकृत पायी जायेगी। उनकी वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।
- शासनादेश संख्या-१३१९ / नौ-९-२१-४५ज/२१, नगर विकास अनुभाग-९ लखनऊ दिनांक ३० जून २०२१ के बिन्दु संख्या-५.८ के अनुसार कार्य में लगी १० प्रतिशत जमानत कार्य पूर्ण होने के १२ माह पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात वापिस की जायेगी।
- शासनादेश संख्या-३८९०/नौ-५-१९-१४९सा/२०१९ नगर विकास अनुभाग-५ लखनऊ दिनांक २०-०९-२०१९ व निदेशालय के पत्र संख्या एक/७१६/कम्यू०सेल/२०१९ दिनांक ०६ नवम्बर २०१९ के अनुपालन में न्यूनतम में (१,१) निविदादाता फर्म / ठेकेदार को पालिका में पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट / ई-बैंकिंग से जमा कराते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त ही स्वीकृत कार्य का कार्यदेश जारी किया जायेगा।
- निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व स्थल का निरीक्षण करना होगा। बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- ठेकेदार / संस्था / फर्म द्वारा लगाये गये सभी श्रमिकों में से किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने की दशा में पालिका का कोई दायित्व नहीं होगा। समस्त दायित्व ठेकेदार / संस्था / फर्म के होंगे। जिसे उसे स्वयं वहन करना होगा।
- श्रमिकों के हितों से संबंधित समस्त शासनादेशों का निविदादाता द्वारा अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

Shikha

16. शासनादेश संख्या-609/नौ-9-2007-249ज / 06 दिनांक 26-02-2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वः घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिससे की ठेकेदार / फर्म कि बिडिंग क्षमता का आंकलन किया जा सके।
17. उक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के पश्चात ठेकेदार / संस्था / फर्म को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराना होगा। जिसमे समस्त प्रकार के खर्च का उत्तरदायित्व ठेकेदार संस्था / फर्म का होगा।
18. निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिन के अन्दर यदि कार्य का अनुबन्ध नहीं कराया जाता है तो जमानत की धनराशि जब्त कर कार्य निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण होने के पश्चात (तीनो स्थितियों) के फोटो ग्राफ्स बिल भुगतान से पूर्व उपलब्ध कराने अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में किए गए कार्य का भुगतान सम्भव नहीं होगा।
20. ठेकेदार / फर्म को धन उपलब्धता के आधार पर पालिका द्वारा भुगतान किया जायेगा।
21. अपठनीय / अस्पष्ट कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड होने पर ई-निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
22. ठेकेदार / फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतिया जी0एस0टी0 के शासनादेश के अनुसार ठेकेदार / फर्म के बिलसे की जायेगी।
23. ठेकेदार / फर्म / सरकारी / अर्द्धसरकारी / सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनियों / निजि निर्माता कम्पनियों व उनके अधिकृत डीलरो को ऑथराईज्ड डीलर होने का वर्ष 2019-20 का कम्पनी मुख्यालय से जारी ऑथराईज्ड डीलरशीप प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
24. कार्य में किसी भी टैस्टिंग पर आने वाले खर्च का वहन सम्बन्धित फर्म / कम्पनी / ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
25. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से अथवा जमा धनराशि से की जायेगी।
26. भविष्य में किसी भी समय कार्य एवं आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता ठीक न होने अथवा अनियमितता की स्थिति में कार्य एवं आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु ठेकेदार / फर्म को काली सूचि में डालने और कार्य की गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर बोन्ड निरस्त करने तथा धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
27. निविदा की स्वीकृति उपरान्त यदि सम्बन्धित फर्म / ठेकेदार द्वारा कार्य को निर्धारित समय अवधि में सम्पूर्ण कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है अथवा कार्य आपूर्ति करने से इंकार किया जाता है तो कार्य में जमा जमानत धनराशि जब्त करते हुए फर्म / कम्पनी / ठेकेदार को काली सूचि में डालने की कार्यवाही करते हुए कार्य का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
28. फर्म / ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित कार्य का निर्माण जल निगम द्वारा पेयजल पाईप लाईन डाले जाने के उपरान्त किया जायेगा।
29. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि तथ्य संज्ञान आता है कि किसी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश प्रत्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
30. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकारी बागपत होंगे।

✓

Sikha


Manoj Kumar Rastogi

(मनोज कुमार रस्तोगी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

Balika


(बबीता तोमर)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद बडौत।







GPS Map Camera



Baraut, Uttar Pradesh, India
18/960, Madhuban Colony, Baraut, Uttar Pradesh
250611, India
Lat 29.105081° Long 77.268544°
05/04/2025 01:52 PM GMT +05:30



GPS Map Camera




Baraut, Uttar Pradesh, India


18/960, Madhuban Colony, Baraut, Uttar Pradesh
250611, India

Lat 29.105087° Long 77.268612°

05/04/2025 01:51 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Baraut, Uttar Pradesh, India


18/462, Madhuban Colony, Baraut, Uttar Pradesh
250611, India

Lat 29.102012° Long 77.269518°

05/04/2025 01:48 PM GMT +05:30




GPS Map Camera



Baraut, Uttar Pradesh, India
11/8, Pathankot, Baraut, Uttar Pradesh 250611, India
Lat 29.093478° Long 77.271803°
05/04/2025 01:34 PM GMT +05:30

221
ANNEXURE-5



SITE PLAN

*DSTP:- DECENTRALISED SEWAGE TREATMENT PLANT